R 919-M/08

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /08 जिला रीवा

राजमणि मिश्रा तनय श्री राममनोहर मिश्रा
पेशा कृषि, निवासी ग्राम सहेबा तहसील
सिरमौर जिला-रीवा (म.प्र.) ..... अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला-सतना
..... प्रत्यर्थी

न्यायालय कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 304/अपील/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.07.2008 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 44(2) के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

मामले की संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, ग्राम देवदहा तहसील रामनगर की शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 551/1 के अंश रकवा में से 20123.07 टन चूना पत्थर का अवैध उत्खनन अपीलार्थी द्वारा किया गया है इसलिये उनके विरुद्ध एक कारण बताओ सूचना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा जारी किया गया और इसमें बताया गया कि अवैध उत्खनन का मूल्य 19176.30 रुपये निर्धारित कर उसका दुगना मूल्य 382152.60 रुपये अर्थदण्ड के रुप में आरोपित किया गया। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में जबाव प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि उसके द्वारा कभी भी ऐसा कोई उत्खनन नहीं किया गया है एवं यह भी बताया कि शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 551/1 स्थित ग्राम देवहदा तहसील रामनगर जिला सतना में स्थित ही नहीं है एवं खसरा क्रमांक 551में बटा नं. है ही नहीं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल जांच किये बिना एवं गवाहों के कथन लिये बिना मात्र कल्पना के आधार पर आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 919–तीन/08 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–5–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 304/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 15.7.08 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रकरण निगरानी में दायर किया गया है। प्रकरण को अपील मानकर निराकरण किया जाना सुसंगत होगा। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक प्रभारी रामनगर जिला सतना द्वारा संहिता की धारा 247(7) के तहत अवैध उत्खनन का प्रकरण प्रस्तुत करते हुये कलेक्टर जिलां सतना को प्रतिवेदित किया गया कि राजमणि मिश्रा द्वारा ग्राम देवदहा तहसील रामनगर के खसरा नम्बर 551/1 में चूना पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है । उसके द्वारा किये गये उत्खनन का बाजार मूल्य 191076.30 रूपये होता है । जिसका दुगना 382152.60 रूपये अर्थदण्ड किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । जिस पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। तथा उस नोटिस का जबाव मांगा गया। गवाहों आदि से पुष्टि होने के पश्चात कलेक्टर जिला सतना द्वारा रूपये 382152.60 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जिससे परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो आदेश	

दिनांक 15.7.2008 को निरस्त की गई, जिससे से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुतें की गई है।

3- अपीलार्थी अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि भूमि खसरा कमांक 551/1 ग्राम देवदहा तहसील रामनगर जिला सतना में अवैध उत्खनन की नोटिस अपीलार्थी को दी गई थी जिसका जबाव अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.6.2004 को दिया गया था और उसके द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत करने का कार्य राज्य शासन का है जो उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपीलार्थी अधिवक्ता का कहना है कि जिस दिन पटवारी द्वारा उत्खनन स्थल का नक्शा बनाया था उस दिन साक्षीगण के कथन नहीं लिये गये हैं और न ही नाप के समय उस दिन साक्षीगण उस जगह मौजूद थे। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा आपीलार्थी पर अर्थ दण्ड की राशि अधिरोपित की गई है उसे निरस्त करने का निवेदन किया गया है ।

4-मेरे द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध प्रकरण में अभिलेखों का परीक्षण किया गया । कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण में गवाहों के कथन संलग्न हैं जिसमें हरिना कोल पिता जागेश्वर कोल, सुखलाल कोल तनय शंकर कोल , राजकरण वैश्य वल्द रामफल वैश्य, सियाशरण वैश्य तनय बैजनाथ वेश्य तथा अखिलेख कुमार वैश्य वल्द सोमनाथ वैश्य के कथन संलग्न है । कलेक्टर कार्यालय से नोटिस कारण बताओ जारी किया गया लेकिन कोई जबाव नहीं आने पर दूसरा कारण बताओं सूचना पत्र

दिनांक 11.6.04 को जारी किया गया उसका जबाव अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.6.04 को दिया तथा बताया गया कि मेरे द्वारा उत्खनन नहीं किया गया है वह उत्खनन दूसरों के द्वारा किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा दूसरे व्यक्तियों का नाम नहीं लिया गया है जबकि गवाहों के कथन लिये गये हैं तो उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी राजमणि मिश्रा द्वारा ही उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर एवं आयुक्त रीवा द्वारा अपीलार्थी को दोषी माना गया है । उस पर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 247(7) के तहत 2123 टन चूना पत्थर के बाजार मूल्य का दुगना रूपये 3,82,152.60/- अर्थदण्ड आरोपित किया है वह सही है। उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 15.7.2008 उचित एवं सही होने से स्थिर रखा जाता है । एवं प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(के. सी. जैन)
सदस्य